

**OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER  
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY  
SEEPZ- SPECIAL ECONOMIC ZONE  
ANDHERI(E), MUMBAI-400096**

**F.No. SEEPZ-SEZ/S/1-97/2015**


**Date: 9 .05.2017**

**Circular No.186 /2017**

**Subject: REX system of EU GSP for self certification of origin- reg.**

Kind attention of all the stakeholders is drawn to the following for further clarification and understanding of various technical and procedural aspects of the newly operationalised REX system of self certification under EU GSP scheme and compliance thereof :

- i) Trade Notice No. 3 dated 17.04.2017 issued from F.No. 01/93/180/56/AM-13/PC-2(B) Vol.II by the DGFT bringing clarifications on many queries raised from various quarters along with the updated list of Local Users.
- ii) Concept Note (Version of 20.04.2017) forwarded by the Department of Commerce( RMTR), Ministry of Commerce & Industry.
- iii) E-mail message dated 28.04.2017 from the Director, RMTR, Department of Commerce, containing replies of the European Commission on certain issues for clarification taken up by them.



**( V.P.Shukla)**

Joint Development Commissioner  
Local Administrator

Encl. as above.

To

1. EPCES, SEEPZ SEZ, for circulation amongst the exporters.
2. SGJMA, SEEPZ SEZ, for circulation amongst the exporters.
3. SEEMA, SEEPZ SEZ, for circulation amongst the exporters.
4. I/C.- IT, SEEPZ SEZ for uploading on the official website.

विकास आयुक्त का कार्यालय,  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,  
सीप्ल - विशेष आर्थिक क्षेत्र,  
अंधेरी (पूर्व), मुंबई- 400096  
\*\*\*\*\*

फा.सं.सीप्ल-सेज़/एस/1-97/2015/

दिनांक: 9.5.2017

परिपत्र संख्या 186/2017

विषय: उद्गम के प्रमाणन हेतु ईयू जीएसपी से संबंधित आरईएक्स सिस्टम।

सभी स्ट्रेकधारकों का ध्यान ईयू जीएसपी स्कीम के तहत स्वप्रमाणन संबंधी हाल ही में लागू आरईएक्स सिस्टम के अनुपालन हेतु निम्नलिखित स्पष्टीकरण तथा विभिन्न तकनीकी तथा प्रक्रियागत पहलुओं की ओर आकर्षित किया जाता है:-

- i) डीजीपीटी द्वारा फाइल संख्या 01/93/180/56/एम-13/पीसी-2 (बी) वॉल्यू. II से जारी दिनांक 17.4.2017 के ट्रेड नोटिस संख्या 3 में विभिन्न क्वार्टरों से प्राप्त प्रश्नों / मुद्दों के संबंध में स्पष्टीकरण देते हुए इसके साथ स्थानीक प्रयोक्ताओं की अद्यत सूची भी संलग्न की गई है।
- ii) वाणिज्य विभाग (आरएमटीआर), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रेषित संकल्पना टिप्पणी (20.4.2017 का वर्जन)।
- iii) आरएमटीआर, वाणिज्य विभाग से प्राप्त दिनांक 28.4.2017 का ई-मेल संदेश जिसमें स्पष्टीकरण के लिए कतिपय मुद्दों पर यूरोपियन कमीशन के उत्तर शामिल हैं।



(विजय प्रकाश शुक्ल)  
संयुक्त विकास आयुक्त,  
स्थानिक प्रशासक

अनुलग्नक-यथोपरि

- प्रति:-
1. ईपीसीईएस, सीप्ल - सेज़ निर्यातकों के बीच व्यापक परिचालन के लिए।
  2. एसजीजेएमए, सीप्ल - सेज़ निर्यातकों के बीच व्यापक परिचालन के लिए।
  3. एसईईएमए, सीप्ल - सेज़ निर्यातकों के बीच व्यापक परिचालन के लिए
  4. प्रभारी, आइटी - कार्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।